

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 1094

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-19 वर्ष-2015 थाना-हथौड़ी जिला-मुजफ्फरपुर

=====

सुंदर देवी उर्फ सुनार देवी, पति लखींद्र साहनी, निवासी- गाँव-पकारी बरखुर्दार, थाना
-हथौरी, जिला-मुजफ्फरपुर

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम्

बिहार राज्य

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थित:

अपीलार्थी/ओं की ओर से : सुश्री सूर्य नीलांबरी, न्यायमित्र

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री बिपिन कुमार, अ.लो.अ.

=====

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

• भारतीय दंड संहिता की धारा 302

संदर्भित मामले:

• साहिब सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (1997) 7 एससीसी 231 में रिपोर्ट किया गया

अपील - उस दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें दोषी अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है।

निर्णय - आंखों देखी गवाही द्वारा दी गई गवाही से, उक्त गवाह को 'उत्कृष्ट गवाह' कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में चिकित्सा साक्ष्य भी आंखों देखी गवाही द्वारा दी गई जानकारी का समर्थन करता है। (पैरा 29.1)

केवल इस कारण से कि लिखित शिकायत पुलिस को दी गई थी, अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह नहीं उठाया जा सकता और विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता घटना स्थल से भागने की कोशिश करते हुए मौके से पकड़ा गया था। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी और औपचारिक एफआईआर दर्ज

करने के बाद, इनक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई और जांच अधिकारी ने जांच की। (पैरा 31)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 33)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख:08-07-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'दं.प्र.सं.' कहा जाएगा) की धारा-374(2) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें दिनांक 19.08.2016 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 26.08.2016 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत दोषी अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे भा.द.सं. कहा जाएगा) की धारा-302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास तथा 5000/- (पांच हजार) रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न भरने की स्थिति में 15 दिन के लिए अतिरिक्त एस.आई. भुगतान की सजा सुनाई गई है।

2. जब 03.07.2024 को मामले की सुनवाई हुई तो अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री परवेज खान ने कहा कि उन्होंने पहले ही संबंधित ब्रीफिंग अधिवक्ता को कागजात वापस सौंप दिए हैं और अब वह अपील में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। वास्तव में, उनके पास कोई कागजात नहीं हैं।

3. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान अपील वर्ष 2016 से लंबित है और अपीलकर्ता 29.03.2015 से हिरासत में है। इसलिए, हमने सुश्री सूर्या नीलांबरी

से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया और उनकी सहमति से उन्हें न्यायमित्र नियुक्त किया गया। उनके अनुरोध पर मामले की सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई।

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान न्यायमित्र सुश्री सूर्या नीलांबरी और प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अ.लो.अ श्री बिपिन कुमार को सुना गया।

5. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

"दिनांक 29.03.2015 को प्रातः लगभग 07:00 बजे सूचक की पुत्रवधू सुशीला देवी, पति- हरि सहनी, अपने बच्चे को तेल मालिश कर दरवाजे के सामने सुलाने के पश्चात घर के काम में व्यस्त हो गयी। आधे घंटे के पश्चात बच्चा रोने लगा, जिस पर वह दौड़कर बच्चे के पास गयी, तो देखा कि सुन्दर देवी, पति- लखीन्द्र सहनी, निवासी- पकरी बरखुरदार, थाना हथौड़ी, जिला- मुजफ्फरपुर अपने दोनों हाथों से बच्चे का गला घोट रही थी। जब वह बच्चे के पास पहुंची, तो अभियुक्त ने उसे धक्का देकर अपने घर की ओर भाग गयी। जब वह रोने लगी, तो कई ग्रामीण वहां आ गये, सुन्दर देवी के पीछे दौड़े और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।"

6. एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 428/2015 के रूप में पंजीकृत किया गया।

7. सुश्री सूर्या नीलांबरी, विद्वान न्यायमित्र मुख्य रूप से यह प्रस्तुत करेंगी कि वर्तमान मामला अपीलकर्ता को झूठे आरोप में फंसाने का है, क्योंकि इस

तथ्य के कारण कि गवाह अपीलकर्ता के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं। विद्वान न्यायमित्र ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संदर्भ दिया और उसके बाद बताया कि अपीलकर्ता ने संजय साहनी (अ.सा. 3) के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तीन मामलों में से अ.सा.3 को दो मामलों में दोषी ठहराया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को प्रश्नगत घटना में झूठा फंसाया गया है। इसके बाद विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि वास्तव में अ.सा.2 सुशीला देवी प्रश्नगत घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, इसके बावजूद उन्हें प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया। यह भी कहा गया है कि अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी उक्त घटना को नहीं देखा है। उक्त तथ्य साक्ष्य से उजागर हो सकता है।

8. विद्वान न्यायमित्र ने आगे कहा कि मृतक एक बच्चा था, जिसकी आयु लगभग चार महीने थी और जब उसकी सांस की नली दब गई थी, तो उसके लिए मदद के लिए चिल्लाना संभव नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी अ.सा. 2 के अनुसार, उसने सबसे पहले बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी और रोने की आवाज सुनकर वह उस स्थान पर पहुंची थी। उस समय उसने पाया कि अपीलकर्ता बच्चे की गर्दन दबा रहा था। हालांकि, बच्चे की मां यानी अ.सा. 2 द्वारा सुनाई गई कहानी पर इस माननीय न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, विद्वान न्यायमित्र ने मोदी ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी (27 वां संस्करण), अध्याय-20, पृष्ठ-578, पैरा-20.3.3 का संदर्भ दिया है, जो इस प्रकार है:

"20.3.3. लक्षण

यदि श्वास नली को अचानक इतना दबा दिया जाए कि हवा का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाए, तो व्यक्ति सहायता के लिए पुकारने में असमर्थ हो जाता है, बेहोश हो जाता है और तुरंत मर सकता है। यदि श्वास नली पूरी तरह से बंद नहीं होती है, तो चेहरा नीला पड़ जाता है, मुंह, नाक और कान से खून बहने लगता है, हाथ भींचे जाते हैं और ऐंठन के कारण मृत्यु में देरी होती है। फांसी की तरह, बेहोशी बहुत तेजी से होती है और मृत्यु बिल्कुल दर्द रहित होती है।”

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान *न्यायमित्र* द्वारा यह इंगित किया गया है कि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब श्वास नली दब जाती है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए मदद के लिए पुकारना संभव नहीं होता है और वर्तमान मामले में मृतक एक बच्चा था, जिसकी आयु लगभग चार महीने ही थी, इसलिए उसके लिए मदद के लिए पुकारना संभव नहीं था।

10. विद्वान *न्यायमित्र* ने इसके बाद तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई और उसे अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। यह भी कहा गया कि आश्चर्यजनक रूप से लिखित आवेदन पहले से ही तैयार रखा गया था और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उक्त लिखित शिकायत पुलिस को दी गई जिसे बाद में एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज किया गया।

11. अभियोजन पक्ष के गवाहों के नजदीकी रिश्तेदार और हितबद्ध गवाह होने के कारण उनके बयान के साक्ष्य मूल्य के बिंदु पर, विद्वान *न्यायमित्र* ने **साहिब सिंह बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा-15 पर भरोसा किया है, जो (1997) 7 एससीसी 231 में रिपोर्ट किया गया है। फैसले का पैरा-15 इस प्रकार है:

“15. यह तर्क कि अभियोजन पक्ष ने केवल उन गवाहों पर भरोसा किया था जो मृतक के परिवार के सदस्य हैं और इसलिए अत्यधिक रुचि रखते हैं,

अपने आप में उनके बयानों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। मृतक से संबंधित गवाह किसी अन्य गवाह की तरह ही तथ्यों को बयान करने में सक्षम हैं। केवल संबंध होने से कोई गवाह अयोग्य नहीं हो जाता। यदि घटना उस समय या ऐसी परिस्थितियों में हुई थी, जब मृतक से संबंधित लोगों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के घटनास्थल पर मौजूद होने की संभावना नहीं थी, तो वे व्यक्ति, यानी मृतक से संबंधित व्यक्ति, उनके द्वारा देखे गए तथ्यों को बयान करने में सक्षम होंगे। भले ही स्वतंत्र गवाहों के मौजूद होने की संभावना से इंकार न किया जाए, फिर भी मृतक से संबंधित गवाह सक्षम गवाह होंगे। केवल यह दिखाना होगा कि गवाह सच कह रहे थे। अदालत स्वयं, यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने जो कहा वह सच था या नहीं, उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और सावधानी से जांच करेगी। *कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य* [(1996) 1 एससीसी 614: 1996 एससीसी (क्रि) 188: 1996 क्रि एलजे 889] में इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा निर्णय लिया गया, जिसके हम में से एक (सगीर अहमद, जे.) सदस्य थे, यह माना गया: (एससीसी पृष्ठ 621, पैरा 15)

“15. ... एक करीबी रिश्तेदार जो एक स्वाभाविक गवाह है, उसे एक इच्छुक गवाह नहीं माना जा सकता। ‘इच्छुक’ शब्द का अर्थ है कि गवाह को किसी न किसी तरह से अभियुक्त को किसी दुश्मनी या किसी अन्य कारण से दोषी ठहराए जाने में कुछ प्रत्यक्ष रुचि होनी चाहिए।”

12. विद्वान *न्यायमित्र* ने आगे दलील दी कि धारा-313 दं.प्र.सं. के तहत अपीलकर्ता आरोपी का बयान दर्ज करते समय सभी आपत्तिजनक परिस्थितियां/साक्ष्य उसके सामने नहीं रखे गए थे और इसलिए इस आधार पर भी आरोपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

13. इसलिए विद्वान *न्यायमित्र* ने आग्रह किया कि जब अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है, तो वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और इस प्रकार दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

14. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री बिपिन कुमार ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि मृतक बच्चे की मां अ.सा. 2 प्रत्यक्षदर्शी है। जब वह बच्चे के रोने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंची तो उसने अपीलकर्ता को बच्चे की गर्दन दबाते हुए देखा था। इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के आचरण की भी जांच की जानी आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की। हालांकि, जब अ.सा. 2 ने मदद के लिए शोर मचाया तो अन्य गवाह तुरंत घटनास्थल पर आ गए और अपीलकर्ता को मौके से पकड़ लिया गया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद पुलिस ने अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अ.सा. 2, प्रत्यक्षदर्शी के बयान का समर्थन किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य भी प्रत्यक्षदर्शी के कथन का समर्थन करते हैं और इसलिए अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए, विद्वान अ.लो.अ. ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाए।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है।

16. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के प्रासंगिक अंश की सराहना करना चाहेंगे।

17. ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों की जांच की।

18. अ.प.1 छट्ठ सहनी ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से यह बताया है कि घटना 6 माह पूर्व प्रातः 07:00 बजे घटित हुई थी। वह शौच क्रिया कर अपने दरवाजे पर वापस आया था। शोरगुल सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि सुन्दर देवी ने 4 माह के बच्चे शुभम का गला घोट दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे की मां ने सुन्दर देवी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे धक्का देकर भाग गई। कुछ दूरी तय करने के बाद वह गिर गई और उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद संबंधित थाने के प्रभारी वहां पहुंचे और उसने उनके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसने ही शुभम की गला घोटकर हत्या की है। उन्होंने आगे बताया कि सुन्दर देवी ने पारिवारिक विवाद के कारण बच्चे की हत्या की है। इससे पूर्व उसने अपनी मां को भी जहर देकर मार डाला था।

18.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में गवाही दी है, न कि किसी को सिखाए जाने पर। उन्होंने आगे कहा है कि सुंदर देवी ने उनके, संजय सहनी, मनोज सहनी, रानी कुमारी, हंसलाल सहनी और जट्टू सहनी के खिलाफ शिकायत वाद संख्या 63/2007 दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था, जिसके खिलाफ उनकी अपील लंबित है। इससे पहले सुंदर देवी ने भी उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ शिकायत वाद संख्या 2800/2005 दर्ज कराई थी, जिसमें भी उन्हें दोषी ठहराया गया था और उसके खिलाफ अपील भी लंबित है। उन्होंने पिछली दुश्मनी के कारण झूठी गवाही देने से इनकार किया है।

19. अ.सा. 2 सुशीला देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि मृतक शुभम कुमार उसका पुत्र था। घटना छह माह पूर्व की है। प्रातः 07:00 बजे वह शुभम कुमार को बरामदे में सुलाकर मसाला पीसने चली गई थी। जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह दौड़कर बच्चे के पास गई तो देखा कि सुन्दर देवी उसके बच्चे (पुत्र) की गर्दन दबा रही थी। उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सुन्दर

देवी ने उसे धक्का देकर भाग गई। जब वह चिल्लाई तो उसकी सास, ससुर व 5-7 अन्य लोगों ने मिलकर उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। सुन्दर देवी ने शुभम की गर्दन दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। घटना स्थल पर पुलिस भी आई थी तथा मृतक बच्चे का *पोस्टमार्टम* कराया गया था। इससे पूर्व सुन्दर देवी ने अपनी मां व बच्चे की भी हत्या कर दी थी। कटघरे में उपस्थित सुन्दर देवी की पहचान उसने की है।

19.1. जिरह में उसने बताया कि जिस स्थान पर उसने अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद सुला दिया था और आंगन के बीच कोई घर नहीं है। उसे मसाला पीसने में आधा घंटा लग गया और जब तक उसने अपने बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी, तब तक वह बच्चे की देखभाल करने नहीं लौटी। जिस खेत में उसकी सास और ससुर काम कर रहे थे, वह खेत से 1-2 मील की दूरी पर है। जब बच्चा रोने लगा तो वह उसके पास गई और उसके रोने पर उसकी सास, ससुर और अन्य लोग वहां आ गए। उसने ही सबसे पहले सुंदर देवी को देखा था, जिसके बाद उसकी सास, ससुर और अन्य लोग वहां आ गए। उसने पांच मिनट बाद गांव के लोगों की मौजूदगी में उन्हें घटना की जानकारी दी। सुंदर देवी को हंसलाल सहनी और अमरजीत सहनी ने पकड़ लिया। सुंदर देवी को बांधकर रखा गया और उसकी पिटाई नहीं की गई, जिसके बाद पुलिस आई। सुंदर देवी रिश्ते में उसकी फुआ है। उसे अपने साथ चल रहे किसी भूमि विवाद की जानकारी नहीं है। उसे न तो सुंदर देवी द्वारा दर्ज केस संख्या 63/07 की जानकारी है और न ही उसे यह पता है कि उक्त मामले में उसकी सास और ससुर आरोपी हैं या नहीं। उसे यह भी नहीं पता कि शिकायत केस संख्या 2800/2005 में उसकी सास और ससुर को दोषी ठहराया गया है या नहीं। करीब एक साल पहले उसके और सुंदर देवी के बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसने (सुंदर देवी) उसके साथ गाली-गलौज की थी, लेकिन उक्त घटना के संबंध में कोई

मामला दर्ज नहीं किया गया। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसके बेटे की मौत ईश्वरीय कृत्य थी और पिछली दुश्मनी के कारण साजिश रचकर सुंदर देवी को इस मामले में झूठा फंसाया गया।

20. अ.सा.3 संजय साहनी सुनी-सुनाई बात का गवाह है। उसने अन्य गवाहों द्वारा बताए गए घटनाक्रम का समर्थन किया है। उसने यह भी कहा है कि बच्चे के दादा हंसलाल ने लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। उसने कटघरे में मौजूद आरोपी की पहचान की है। उसने जिरह में मौजूदा घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है।

21. अ.प.4 हंसलाल सहनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे इस कांड के सूचक हैं। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उनकी पुत्रवधू ने अपने बच्चे को तेल लगाकर *बरामदे* में सुला दिया तथा खाना बनाने चली गई। जब बच्चा रोने लगा तो वे वहां आई तो देखा कि सुन्दर देवी अपने दोनों हाथों से बच्चे का गर्दन दबा रही है। जब उनकी पुत्रवधू ने सुन्दर देवी को पकड़ा तो उसने उसे धक्का देकर भाग गई। इस पर उनकी पुत्रवधू चिल्लाने लगी जिस पर वे तथा आस-पास के लोग एकत्र हो गए तथा उसे पकड़ लिया। बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई थी। उन्होंने सहग्रामीण सुन्दर देवी को पहचाना है। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। इस संबंध में लिखित आवेदन दिया गया था जिस पर उन्होंने अपना अंगूठा लगाया था।

21.1. जिरह में उसने बताया कि सुन्दर देवी ने उसके खिलाफ 5-7 मुकदमे दर्ज करवाए थे। शिकायत वाद संख्या 2800/2005 और 63/2007 में उसे और इस मामले के अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों को दोषी ठहराया जा चुका है, जिसके खिलाफ अपील लंबित है। शिकायत वाद संख्या 2804/2010 लंबित है, जिसमें वह और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह आरोपी हैं। हथौरी थाना वाद संख्या

103/2014 (सुन्दर देवी बनाम हरि सिंह व अन्य) भी लंबित है, जिसमें वह और अन्य गवाह आरोपी हैं। इस मामले की आरोपी सुन्दर देवी उसकी अपनी चचेरी बहन है। वह अपने पिता के घर में रह रही है। उसने और अन्य लोगों ने उसे गांव से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वह वहां से नहीं गई। जब उसका पीछा किया गया, तब घटनास्थल पर 12 पुलिसकर्मी मौजूद थे। सुन्दर देवी को एस.एच.ओ. ने 2-3 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। सुंदर देवी की गिरफ्तारी से पहले उनके और इस मामले के अन्य गवाहों जैसे छरू सहनी, संजय सहनी और सुशीला देवी के बीच बातचीत हुई थी। छरू सहनी और संजय सहनी को पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि सुंदर देवी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है ताकि उनकी ज़मीन हड़प कर उन्हें गांव से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने झूठी गवाही देने से भी इनकार किया है।

22. अ.प.5 इन्द्रजीत साहनी भी सुनी-सुनाई बात का गवाह है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह अपने खेत में काम कर रहा था। उसे दूसरों से पता चला कि सुन्दर देवी ने हरी साहनी के बेटे की गर्दन दबाकर हत्या कर दी है। उसने कटघरे में उपस्थित अभियुक्त सुन्दर देवी को पहचाना।

22.1. अपनी जिरह में उसने यह स्वीकार किया है कि उसने दूसरों से मिली जानकारी के अनुसार ही बयान दिया है और उसने घटना को अपनी आँखों से नहीं देखा है। उसने यह भी कहा कि कथित तौर पर मारे गए बच्चे की तबीयत खराब थी।

23. अ.प.6 बंसलाल सहनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दो वर्ष पूर्व प्रातः 07:00 बजे घटित हुई थी। उस समय वह अपने घर में था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह अपने घर से बाहर आया तो देखा कि सुन्दर देवी हरि सहनी के लगभग साढ़े चार वर्ष के पुत्र का गर्दन दबा रही थी। बच्चे की मां

ने जब शोर मचाया तो वह और अन्य लोग दौड़कर वहां पहुंचे। इस पर सुन्दर देवी भागने लगी, लेकिन उसे छठू सहनी और अन्य लोगों ने पकड़ लिया। इसके पूर्व भी उसने हंसलाल सहनी के बच्चे की हत्या की थी। उसने आगे कहा है कि पकड़े जाने पर उसने बच्चे की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसने सुन्दर देवी की पहचान की है।

23.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि सुंदर देवी उसकी रिश्ते में बहन है और वह उनकी मर्जी के खिलाफ अपने पैतृक घर में आकर बस गई है। पिता के जीवनकाल से ही उसे गांव से बाहर निकालने की पहल की गई, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा। सुंदर देवी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में इस मामले के सूचक और अन्य गवाहों को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने सुंदर देवी को बच्चे को मारते हुए अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि बच्चा पहले से बीमार था। उन्होंने झूठी गवाही देने से इनकार किया है और कहा है कि आरोपी सुंदर देवी को गांव से बाहर निकालने के इरादे से पिछली दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है और बच्चे की लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई थी।

24. अ.प.7 विश्वनाथ सहनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दारोगा जी ने 29.03.2015 को 11:23 बजे गांव में आकर शुभम कुमार, पुत्र हरी सहनी की जांच रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर उन्होंने बतौर गवाह अपना हस्ताक्षर किया था। संजीव कुमार ने भी उनकी उपस्थिति में उस पर अपना हस्ताक्षर किया था। वह दोनों हस्ताक्षरों की पहचान करता है और उस पर प्रदर्श-1 अंकित है। हंसलाल सहनी ने घटना का विवरण देते हुए एक लिखित आवेदन उस पर अंगूठा लगाकर दारोगा जी को सौंपा था। उक्त आवेदन सह ग्रामीण संजय सहनी, पुत्र शंकर

सहनी द्वारा तैयार किया गया था। वह आवेदन पर संजय सहनी की लिखावट की पहचान करता है। उस पर प्रदर्श-2 अंकित है।

24.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि जिस पेज पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर बताए हैं, वह उनकी मौजूदगी में तैयार किया गया था। उन्हें इसकी विषय-वस्तु और कॉलमों की संख्या के बारे में पता नहीं है। किसी और ने उस पेपर पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने केवल एक पेज पर अपने हस्ताक्षर किए थे। वे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तारीख और समय नहीं बता सकते। उन्होंने झूठी गवाही देने के सुझाव से इनकार किया है।

25. अ.सा.8 डॉ. विजय कुमार प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 29.3.15 को वे एस.के. मेडिकल एवं कॉलेज, मुजफ्फरपुर में फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन उन्होंने शुभम कुमार, उम्र लगभग 4 माह, पुत्र हरि सहनी, ग्राम-पकड़ी बरखुदा, थाना-हथौरी, जिला-मुजफ्फरपुर के शव का पोस्टमार्टम किया था। शव की पहचान चौकीदार 8/15 राम चंद्र पंडित ने की। शरीर के ऊपरी हिस्से पर सामान्य शारीरिक बनावट के अनुसार कठोर मृत्युदंड था। कोई भी पूर्व-मृत्यु बाहरी चोट नहीं पाई गई। गर्दन के उपरी ऊतक एवं मांसपेशियों के विच्छेदन पर घाव पाया गया। श्वासनली में रक्त का थक्का जमने के साथ श्वासनली का जोड़ टूट गया था। चौथी और पांचवीं सर्वाइवल वर्टिब्रा में फ्रैक्चर। पेट की सभी आंतरिक आंतरिक नसें बंद थीं। उन्होंने कहा है कि मृतक की मृत्यु गर्दन को मोड़कर गला घोटने के कारण दम घुटने से हुई। मृत्यु के बाद का समय:- दो से बारह घंटे के भीतर। उन्होंने अपने द्वारा तैयार की जाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने कलम और हस्ताक्षर से पहचाना है, जिस पर प्रदर्श 3 अंकित है।

25.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि मानव शरीर में दाएं और बाएं हिस्से में अंतर किया जा सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से को मोड़ने के लिए बाएं या दाएं दिशा की आवश्यकता होती है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है कि गर्दन का मोड़ दाएं तरफ था या बाएं तरफ। उन्होंने कहा है कि मानव शरीर पर गर्दन को मोड़ने या दबाने से एक ही तरह की चोट मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि शरीर पर कठोर मृत्यु की उपस्थिति से मृत्यु के बाद से 2-12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है वह फॉरेंसिक मेडिसिन साइंस के दायरे में नहीं है।

26. अ.प.9 बालेश्वर प्रसाद यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 29.03.2015 को वे हथौरी थाने के एस.एच.ओ. के पद पर पदस्थापित थे। उन्हें सूचना मिली कि ग्राम पकरी बरखुरदार में एक महिला ने एक बच्चे की हत्या कर दी है। सूचना पर वे दो ए.एस.आई. व पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर हंसलाल सहनी ने लिखित शिकायत दी। इस आधार पर उन्होंने कार्बन प्रक्रिया द्वारा शुभम कुमार की जांच रिपोर्ट तैयार की, दो गवाहों के हस्ताक्षर लिए तथा अपना हस्ताक्षर किया। उन्होंने जांच रिपोर्ट की पहचान की तथा उस पर प्रदर्श-4 अंकित किया। इसके बाद उन्होंने सूचक का बयान दर्ज किया तथा घटनास्थल का दौरा किया। घटनास्थल ग्राम पकरी बरखुरदार में हंसलाल सहनी की पूर्व दिशा वाली झोपड़ी है। मुख्य प्रवेश द्वार बिना दरवाजे का है। मुख्य प्रवेश द्वार के अन्दर एक बरामदा है, जहां बच्चा लकड़ी की चारपाई पर लेटा हुआ था। बताया गया कि सोते समय आरोपी ने बच्चे की गर्दन दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने साक्षी सुशीला देवी का बयान दर्ज किया। उनके कहने पर महिला कांस्टेबल अंजू देवी को तैनात किया गया। उनके पहुंचने पर उनके द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया, जिस पर आरोपी सुन्दर देवी के अंगूठे का निशान लिया गया। उन्होंने तथा दो अन्य

गवाहों ने उस पर अपने हस्ताक्षर भी किए। उन्होंने गिरफ्तारी ज्ञापन को अपने कलम से होने की पहचान की है तथा हस्ताक्षर पर प्रदर्श-5 अंकित है। उन्होंने कहा है कि यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब सूचक द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, तो उन्होंने उसे एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए थाने को अग्रेषित किया था तथा उन्होंने स्वयं इस मामले की जांच का प्रभार लिया था। उन्होंने लिखित शिकायत को अपने कलम से पृष्ठांकित किया था तथा हस्ताक्षर किए थे, जिसकी वे पहचान करते हैं (प्रदर्श-6)। औपचारिक एफ.आई.आर. इस मामले की प्राथमिकी थाने के क्लर्क कलेक्टर सिंह ने तैयार की थी, जिस पर उन्होंने दो स्थानों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने औपचारिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श-7) की पहचान की। उन्होंने कटघरे में मौजूद आरोपी की भी पहचान की।

26.1. जिरह में उन्होंने कहा है कि केस डायरी के पैरा-11 में उन्होंने लिखा है कि किसी ने उनके सरकारी मोबाइल पर घटना की सूचना दी। पैरा-11 में उन्होंने यह नहीं लिखा है कि हंसलाल सहनी ने ऐसी सूचना दी थी। उन्होंने आगे कहा है कि लिखित शिकायत उनकी मौजूदगी में तैयार नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें घटनास्थल पर ही सौंपी गई थी। लिखित शिकायत को विधिवत थाने में भेजने के बाद उन्होंने शव को कब्जे में लिया और जांच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने आरोपी के घर पर छापेमारी नहीं की। आरोपी को आसपास के लोगों द्वारा सौंपे जाने पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में एक से डेढ़ घंटे का समय लगा, क्योंकि उसे महिला कांस्टेबल अंजू देवी ने थाने से घटनास्थल पर आने के बाद गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा है कि महिला कांस्टेबल अंजू देवी का बयान केस डायरी में दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने आरोपी सुंदर देवी का बयान नहीं लिया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गलत जांच की है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ झूठा आरोप-पत्र पेश किया है।

27. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि अ.सा. 2 मृतक बच्चे की मां है तथा वह विचाराधीन घटना की प्रत्यक्षदर्शी है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक शुभम कुमार उसका पुत्र था। घटना छह माह पूर्व घटित हुई थी। प्रातः 07:00 बजे वह शुभम कुमार को *बरामदे* में सुलाकर मसाला पीसने चली गई थी। जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह दौड़कर बच्चे के पास गई तथा देखा कि सुंदर देवी उसके बच्चे (पुत्र) की गर्दन दबा रही थी। उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह (सुंदर देवी) उसे धक्का देकर भाग गई। जब वह चिल्लाई तो उसकी सास, ससुर व 5-7 अन्य लोगों ने मिलकर उसका पीछा किया तथा उसे पकड़ लिया। सुंदर देवी ने गर्दन दबाकर शुभम की हत्या करना स्वीकार किया।

28. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सूचक, जो अ.सा. 2 का ससुर है, भी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचा तथा उसने भी विचाराधीन घटना देखी। अन्य गवाह भी घटनास्थल के आसपास एकत्र हुए। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि अ.सा. 2 प्रत्यक्षदर्शी है तथा अन्य गवाह भी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे तथा अपीलार्थी अभियुक्त को उस समय पकड़ा गया जब वह घटनास्थल से भागने का प्रयास कर रही थी। यह ध्यान देने योग्य है कि सूचक का विशिष्ट मामला यह है कि जब अभियुक्त को पकड़ा गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था तथा गांव के लोगों या मौके पर आई पुलिस के समक्ष कभी यह नहीं कहा कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। यहां तक कि दं.प्र.सं. की धारा-313 के तहत बयान देते समय भी उसने यह नहीं कहा कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता अभियुक्त ने उक्त बचाव नहीं किया और इसलिए, केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने मुखबिर और अन्य के खिलाफ कुछ मामले दायर किए थे और अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों को उनमें

दोषी ठहराया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है क्योंकि यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि दुश्मनी दोनों तरफ से होती है।

29. मृतक बच्चे की माँ अ.सा. 2 के बयान से यह कहा जा सकता है कि उसका बयान पूरी तरह से विश्वसनीय है और उक्त गवाह को 'उत्कृष्ट गवाह' कहा जा सकता है। इसलिए, केवल एकाकी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा करते हुए, बिना किसी पुष्टि के, दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उक्त उत्कृष्ट गवाह द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय पाया जाता है।

29.1. वर्तमान मामले में, अ.सा. 2 द्वारा दिए गए बयान से, हमारा मानना है कि उक्त गवाह को 'उत्कृष्ट गवाह' कहा जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, चिकित्सा साक्ष्य भी चश्मदीद गवाह अ.सा. 2 द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि करते हैं।

29.2. इसके अलावा, यह बच्चे की माँ का विशिष्ट मामला है कि उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और इसलिए, वह उस स्थान पर पहुँची और अपीलकर्ता को गर्दन दबाते हुए देखा। इस प्रकार, अ.सा. 2 के साक्ष्य के मद्देनजर, मोदी ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी (27 वाँ संस्करण), अध्याय-20, पृष्ठ-578, पैरा-20.3.3 पर विद्वान *न्यायमित्र* द्वारा दिया गया भरोसा गलत है। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य यह भी बताते हैं कि मृत्यु पूर्व गला घोटने के कारण हुई थी, जिससे 4 वें और 5 वें जीवित कशेरुका का फ्रैक्चर हुआ था। इस प्रकार, हमारा मानना है कि चिकित्सा साक्ष्य भी अ.सा.2, चश्मदीद गवाह के संस्करण का समर्थन करता है।

30. हमने साहिब सिंह (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी जांच की है, जिस पर विद्वान न्यायमित्र ने भरोसा किया है। हम उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकते। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की जांच की है, जो निकट संबंधी हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान विश्वसनीय कहे जा सकते हैं और जब चिकित्सा साक्ष्य भी चश्मदीद गवाह के बयान का समर्थन करते हैं, तो हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

31. केवल इसलिए कि पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, अभियोजन पक्ष की कहानी के संबंध में संदेह नहीं उठाया जा सकता है और विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता को घटनास्थल से भागने की कोशिश करते समय मौके से पकड़ा गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि एफ.आई.आर. तुरंत दर्ज की गई थी और औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद, जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी और जांच अधिकारी ने जांच की है।

32. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने, प्रस्तुत किए गए तर्कों और साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय दर्ज किए गए तर्कों की सराहना करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने और सजा के आदेश के विवादित निर्णय को सही ढंग से दर्ज किया है और इसलिए, विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है।

33. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

34. अपील समाप्त करने से पहले, हम विद्वान न्यायमित्र सुश्री सूर्या नीलाम्बरी द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

34.1. पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह विद्वान न्यायमित्र सुश्री सूर्या नीलाम्बरी को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए समेकित शुल्क के रूप में ₹ 5000/- (पांच हजार रुपये) का भुगतान करें।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

के.सी.झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।